

क्रमांक: प.1 / प्रति-3 / न.क./ भर्ती / 2021 /

८७२-७३ (०२)

दिनांक: १८/६/२०२१

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

विज्ञापन संख्या ०२ / २०२१

कम्पाउण्डर/ नर्स जूनियर ग्रेड के अनुसूचित क्षेत्र (TSP) पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन

राजस्थान आयुर्वेदिक, युनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनतस्थ सेवा नियम, १९६६ संशोधित नियम, २०१० एवं संशोधित नियम, २०१३ एवं योग्यताधारी अस्थार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट <https://tsp.rauonline.in> पर दिनांक २४.०६.२०२१ प्रातः १०:०० बजे से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या		सामान्य सर्वों		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		नि: शक्तरजन कर्मचारियों के लिए	विभागीय क्षेत्रांतरीक्षीय क्षेत्रों के लिए	उत्कृष्ट सेविका	भूतपूर्व सेविका		
		सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४		
१	कम्पाउण्डर / नर्स जूनियर ग्रेड सीएसपी, क्षेत्र	४३	१६	६	२२	२	०	२	१४	५	१९	१	४	-	५

नोट:-

- महिला, भूतपूर्व सीनियों, विभागीय कर्मचारियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं विशेष योग्यजनों के लिये आरक्षित पदों का आस्थण क्षेत्रिज (Horizontal) होगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त निजापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतारी की जा सकती है एवं आस्थण सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता।

(१) आवेदन करने की अंतिम तिथि :-

- आौनलाइन आवेदन पत्र दिनांक २३.०७.२०२१ को मध्य रात्रि १२:०० बजे तक भरे जा सकेंगे। (नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन करने का एक अधिकार होगा।)

२१८

(2) आवेदन शुल्कः-

- i) सामान्य वर्ग के अस्थार्थियों के लिये
- ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं निःशक्तजन श्रेणी के अस्थार्थियों के लिये।

(3) आरक्षण:-

- i)

महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण में 8 प्रतिशत विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्तका (विच्छल विवाह) महिला अस्थार्थियों को नियमानुसार वर्गवार

आरक्षण देय होगा। किसी वर्ग (सामान्य/अज्ञा/अज्ञजा) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अस्थार्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अस्थार्थी से भरा जावेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग की विवाहित महिला अस्थार्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारीयों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रसुत करना होगा। पाति के नाम/निवास से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

विज्ञापित उक्त पदों के लिये राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अस्थार्थियों (Persons With Disabilities) को 4 प्रतिशत आरक्षण श्रेणिज रूप से देय होगा, अर्थात् अस्थार्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन पुरुष से मेरिट सूची बनाकर चयनित अस्थार्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जावेगा।

नोट:- 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञापित इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद नाम	पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी
कमाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड	OL (One Leg) LV (Low Vision) HH (Hard of Hearing) Dwarfism and acid attack victims

- iv)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद केवल इन वर्गों के राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी अस्थार्थियों से ही भरे जायेंगे।

- v)

विज्ञापित पदों में राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अस्थार्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की आधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जावेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जावेगा।

- vi)

अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अस्थार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र)
200/- (अक्षरे दो सौ रुपये मात्र)

211

(4) अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारियों के लिये विशेष निर्देश:-

i. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारियों से ऐसे व्यक्ति अमिषेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी हैं और जो ख्यां या यदि उनका जन्म 01 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता/पुर्ज 01 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।

ii. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आखण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20)कार्मिक / क-2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

iii. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चर्तुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ती) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान आयुर्वेद, गुनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 एवं सशोधन नियम 2021 प्रावधान लागू होंगे।

iv. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा सम्मय-सम्मय पर यथा सशोधित अधिसूचना संख्या एफ.19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक / क-2 / 91 / पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विख्याइडित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

(5) वेतनमान एवं अन्य सुविधाएः-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या F.15(1)FD/Rules/2017, दिनांक: 30-अक्टूबर, 2017 के अनुसार चयनित अधिकारियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में निम्न प्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगा:-

क्र. सं.	पद नाम	पे मेड्रिक्स लेवल	प्रोबेशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक
1	कमाऊडस-नर्स जूनियर ग्रेड	L-10	23700/-

दो वर्ष की कालावधि का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उक्त वर्षित नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी। चयनित/नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(6) शैक्षणिक योग्यता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एस.सी (आयुर्वेद नर्सिंग), साथ में इन्टर्नशिप परन्तु यह है कि उपरोक्त अहंक शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्ती के लिये नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिये निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करने वाला अध्यर्थी पद हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होगा।

21

(7) आयु:-

आवेदक 7/6/ कामिक /क-ा/ 2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से अधिक नहीं दी जावेगी।"

स्पष्टीकरण- आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 2018 के बाद उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

1. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं सामान्य सर्वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
2. विधवा एवं परिवत्ता (विवाह-विछिन्न) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण :- विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थियों को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परिवत्ता (विवाह-विछिन्न) महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/ डिक्टी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुरुषविवाह नहीं किये जाने सबंधी शापथ-पत्र भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुरुषविवाह नहीं किये जाने सबंधी शापथ-पत्र भी प्रस्तुत करनी होगी।

3. राज्य के कार्य कलापों के संबंध में अधिकारी तौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में एसे विभागीय कर्मचारी जो कार्मिक निभाग की अधिसूचना एफ 2(6)डीओपी/ए-ा/ 90 दिनांक 08.04.2010 के नियम 10 का संशोधन में ऐसे कार्यकारी विभागीय कर्मचारी जो कम्पाउण्डर/ नर्स, कनिष्ठ ग्रेड के पद के लिए अहता रखते हैं, कम्पाउण्डर/ नर्स कनिष्ठ ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए 50 वर्ष तक की आयु तक पात्र होंगे।
4. राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपेथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 एवं संशोधन नियम 2021 के नियम 10 के परन्तुक के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल., जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को निरन्तर सेवा में रहने पर सेवा अवधि के वर्षों के आधार पर आयु में छूट देय होगी जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी।

(8) चयन का आधार:-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपेथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 एवं संशोधन नियम 2013 व संशोधित नियम 2021 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।

1. इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होंगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।
2. कम्पाउण्डर/ नर्स जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए जरिया सूची उक्त नियमों के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु./ 2012 पार्ट ा दिनांक 4.10.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत तैयार की जावेगी। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेगे। प्रत्येक एक पूर्ण

वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं आधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेंगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा) एवं 70 प्रतिशत चेटेज अम्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अहंक परीक्षा में अम्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जायेगा।

3. सीधी भर्ती हेतु वरियता सूची तैयार करने हेतु 70 प्रतिशत चेटेज अम्यर्थी द्वारा राजस्थान आगुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 में संशोधन नियम, 2013, संशोधित नियम 2021 एवं उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अहंक परीक्षा में अम्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत प्रतिशत दिया जायेगा, अर्थात् यदि किसी अम्यर्थी द्वारा अपनी अहंक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं एवं उसे 3 पूर्ण चर्चा का बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है तो उसका प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 + 30 = 86$ औसत प्रतिशत होगा एवं यदि किसी अम्यर्थी जिसे बोनस का लाभ नहीं मिलना है, कि अहंक परीक्षा में प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उसका प्रभावी प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 = 56$ अंक औसत प्रतिशत होगा। वरियता सूची तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जावेगी।
4. विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रत्यन्त में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्राप्त संलग्न है।
5. वरियता सूची में चयनित अम्यर्थीयों को पात्रता दस्तावेज़ शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।

(9) चयन के लिये अयोग्यता:-

1. कोई भी पुरुष अम्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित परियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है कि आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अम्यर्थी को छुट देय नहीं होगी।
2. कोई भी महिला अम्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है कि आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अम्यर्थी को छुट न दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अम्यर्थी को छुट देय नहीं होगी।
3. ऐसा कोई भी अम्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहाँ किसी अम्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक प्रथातल्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा, परन्तु यह भी कि अम्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय पूर्वतर प्रसव से पैदा और निःशक्तता वाली संतान की गणना नहीं की जायेगी।
4. विशेष नोट :- अम्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गणनी करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन कमांड एफ.7(1)डीओपी/रा-ग/95/पर्ट-11 दिनांक 24 फरवरी, 2011 के प्रवधान लागू होंगे। आयोग/सरकार/किसी सक्षम चायलय द्वारा किसी भी परीक्षा में वांचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।

5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22 मई, 2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अस्थार्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।
6. आवेदक के लिये राजस्थान आयुर्वेदिक, युनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनरण सेवा नियम 1966, संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 एवं 2021 में प्रथाविहित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।
7. किसी भी विवाहित अस्थार्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

(10) दस्तावेजों का सत्यापन:-

1. वरिष्ठता सूची के अनुसार अस्थार्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आड़त करने पर तथा स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आड़त अस्थार्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मध्य चैक लिस्ट विभाग द्वारा तथा निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अस्थार्थी द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता/ अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/ वर्ग प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों आदि कि प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं करने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं कि जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मन्य नहीं होगा।
3. दस्तावेज सत्यापन हेतु आड़त अस्थार्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनकी नियुक्ति बाबत विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों को सत्यापन करने वाली संस्था/सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे।
4. आवेदक द्वारा अनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से समिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजों की वैधता एवं पात्रता संबंधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. कहरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्रवाही भी अमल में लाई जावेगी।

(सीमा रामा)
निदेशक

कार्यालय.....

क्रमांक:-

दिनांक:-

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी..... पुत्र/ पत्नि/ पुत्री श्री..... निवास..... की नियुक्ति.....
..... के आदेश क्रमांक..... दिनांक..... के द्वारा कम्पाउण्डर/ नर्स के पद पर संविदा/ अनुबंध/ अस्थाई आधार पर.....
..... संस्था/ परियोजना में की गई थी, जो इस पद पर दिनांक..... से दिनांक..... तक कार्यरत है/ रहा है/ रही है। इनकी उक्त पद पर¹
कुल कार्य अवधि..... वर्ष..... माह..... है।

हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-
कार्यालय स्टाफः:-

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग/ प्राचार्य मेडिकल/ डेन्टल कॉलेज/ अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/ /पीएमओ/ /सीएमएचओ/ /कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/ निदेशक एसएमयू/ निदेशक आर.आर.सी./ सरकार द्वारा संचालित परियोजना के लिये परियोजना निदेशक अथवा सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मी मन्य होगा।
2. अन्यथा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/ आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बोनस अंक देय नहीं होंगे एवं इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नोट:- अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि के ठीक पूर्व दिवस तक की जावेगी।